<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.—533 / 13</u> संस्थित दिनांक— 31.12.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. हरीसिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव उम्र 29 साल
- 2. जगदीश पुत्र रघुवीर सिंह यादव उम्र 27 साल
- 3. राजा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव उम्र 24 साल सभी निवासीगण ग्राम अमरोद तहसील पिपरई जिला—अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 25.02.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा—504, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—31.10.13 को समय 10:00 बजे ग्राम अमरोद थाना पिपरई में फरियादी शिवराज को इस आशय से गाली देकर अपमानित किया कि तदद्वारा फरियादी शिवराज को गाली—गलौच कर सआशय एवं यह सम्भाव्य जानते हुये अपमानित कर प्रकोपित किया कि तदद्वारा ऐसे प्रकोपन से फरियादी लोकशांति भंग करे अन्य कोई अपराध कारित करे तथा फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी शिवराज को खोलिया तथा हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—29.10.13 को अभियुक्तगण ने फिरयादी शिवराज की मेढ़ पटा थी। उक्त बात पर दिनांक—31.10.13 को जब फिरयादी शिवराज ने कहा कि उसके खेत की मेढ क्यों पटा दी तो इस बात पर से अभियुक्तगण ने फिरयादी शिवराज के साथ गाली—गलौच की इतने में ही अभियुक्तगण राजासिंह व हिरिसंह आ गये, अभियुक्त हिरिसंह ने फिरयादी शिवराज को पटक कर खचोड दिया।

अभियुक्त राजासिंह ने मुंह में खोलिया मारा अभियुक्त जगदीश ने मुक्का मारा जो फरियादी के बाई तरफ गाल में लगा जिससे उसकी ढाड में चोट आई व झगडे में फरियादी के सिर व पीठ में मून्दी चोट आई मौके पर मलखान सिंह व चंद्रपाल आ गये थे उन्होने बीच बचाव किया। शिवराज ने घटना दिनांक—31.10.13 को पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना पिपरई के अदम चैक क्रमांक-288 / 13 अंतर्गत 323, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। शिवराज का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी शिवराज को खोलिया से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना पिपरई के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक-259/13 अंतर्गत भा०द०वि० धारा-324, 323, 504, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—21.02.17 को शिवराज के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा-504 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा०द०वि० की धारा-324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निद्मेष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या अभियुक्तगण ने दिनांक-31.10.13 को समय 10:00 बजे ग्राम अमरोद थाना पिपरई में फरियादी शिवराज को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य अग्रसरण में शिवराज को खोलिया तथा अपने हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?
 - दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ? 2.

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये। अभियोजन की ओर से फरियादी शिवराज (अ०सा० 1) सहित घटना के अन्य साक्षी चंद्रपाल (अ०सा० 2) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी शिवराज (अ०सा० 1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण से उसका पूर्व से मेड का विवाद था। दिपावली के आसपास अभियुक्तगण ने मेढ के विवाद पर से उसके ,खेत की मेढ पर आकर उसे मां बहन की गालियां दी थी। जिसके बाद मौके पर चंद्रपाल (अ०सा० 2) ने आकर बीच बचाव किया था। फरियादी शिवराज (अ०सा० 1) के अनुसार उसने उक्त घटना की रिपोर्ट प्र०पी०—1 पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई थी। जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

- 07— फरियादी शिवराज (अ0सा0 1) अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नही दिये है तथा फरियादी के अनुसार अभियुक्तगण ने मौके पर मेढ पर आकर उसके साथ मात्र गाली गलौच की थी। इसी प्रकार चंद्रपाल (अ0सा0 2) जो कि फरियादी के अनुसार मौके पर उपस्थित होकर उसके द्वारा बीच बचाव कराया गया, ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंन्कार किया है तथा घटना के संबंध में पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है।
- 08— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी शिवराज (अ0सा0 1) व चंद्रपाल (अ0सा0 2) को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण कर अभियोजन द्वारा किया गया है। जिसमें भी इन साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। फरियादी शिवराज (अ0सा0 1) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं घटना में आहत है। अपने कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध यह कहता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी तथा घटना में केवल मुंहवाद हुआ था, के साक्षी पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0—1 एव पुलिस कथन प्र0पी0—3 में भी मारपीट की घटना लेख कराये जाने से इन्कार करता है।
- 09— अतः फरियादी शिवराज (अ०सा० 1) व चद्रपाल (अ०सा० 2) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन न देने से अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी के साथ खोलिया एवं लातघूंसों से मारपीट कर उपहित कारित की थी। निश्चित रूप से अदम चैक प्र०पी०—1 फरियादी द्वारा लेखबद्ध कराये जाने के पश्चात फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें फरियादी के शरीर पर धारदार वस्तु से उपहित पाये जाने पर असल अपराध की कायमी की गई। चिकित्सीय साक्ष्य पुष्टिकारक साक्ष्य होती है, परन्तु उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता जब फरियादी शिवराज (अ०सा० 1) स्वयं ही अपनी साथ हुई मारपीट की घटना होने से ही इन्कार करता है तथा घटना में केवल मुंहवाद होना बताता है।
- 10— प्रकरण में साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने दिनांक—31.10.13 को समय 10:00 बजे ग्राम अमरोद थाना पिपरई में फरियादी शिवराज को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य अग्रसरण में शिवराज को खोलिया तथा अपने हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की।
- 11— फलस्वरूप <u>अभियुक्तगण हरीसिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव, जगदीश पुत्र रघुवीर सिंह यादव, राजा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव</u> के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्तगण हरीसिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव, जगदीश पुत्र रघुवीर सिंह यादव, राजा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव</u> को भा०दं०वि० की धारा— 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

(4) <u>दांडिक प्रकरण क.-533/13</u>

12— <mark>अभियुक्तगण हरीसिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव, जगदीश पुत्र रघुवीर सिंह यादव, राजा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव, राजा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह यादव के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही.है।</mark>

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)